भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *94

दिनांक 08.02.2023 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेकेकेवाई के तहत धनराशि का आवंटन

†*94. श्री संगम लाल गुप्ता :

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत पूरी की गई विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सहित राज्य-वार उन लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिनकी इस योजना के तहत दीर्घावधि स्थायी आजीविका सुनिश्चित की गई है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'पीएमकेकेकेवाई के तहत धनराशि का आवंटन' के संबंध में संसद सदस्यों श्री संगम लाल गुप्ता और श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.02.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 94 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 16.09.2015 को परिचालित किए। पीएमकेकेकेवाई के तहत शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिला खनिज फाउंडेशन से निधियां आवंटित की जाती हैं। पीएमकेकेकेवाई के तहत पिछले पांच वर्षों में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए विभिन्न डीएमएफ द्वारा आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है-

वित्त वर्ष	**परियोजना आवंटन (करोड़ रु. में)**
वित्त वर्ष 2018-19*	12,118.33
वित्त वर्ष 2019-20	8,390.18
वित्त वर्ष 2020-21	12,603.11
वित्त वर्ष 2021-22	9,276.57
वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर 22 तक)	10,920.75

**मई 2018 से मार्च 2019 तक*

(ख) और (ग): पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों का कम से कम 60% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (पेय जल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांग जन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता) पर व्यय किया जाना है और निधियों का 40% अन्य प्राथमिकता वाले कार्यकलापों (वास्तविक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और वाटरशेड विकास; और खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय) पर व्यय किया जाना है। इस योजना के तहत दिसंबर, 2022 तक कुल 2,60,295 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और अब तक कुल 1,39,912 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमकेकेकेवाई के तहत लाभार्थियों का विवरण संबंधित जिलों के पास होता है।

******

अनुबंध I

तारांकित प्रश्न संख्या - *94 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिसंबर 2022 तक संस्वीकृत एवं पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजना	पूरी की गई परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	17781	7111
2	छत्तीसगढ़	75677	46479
3	गोवा	27	8
4	गुजरात	22008	11226
5	झारखंड	9648	6304
6	कर्नाटक	10098	4740
7	महाराष्ट्र	9923	6097
8	मध्य प्रदेश	10866	5109
9	**ओडिशा**	**27528**	**18604**
10	**राजस्थान**	**27988**	**11156**
11	तमिलनाडु	2601	1778
12	तेलंगाना	35554	19298
13	असम	332	231
14	बिहार	112	54
15	हिमाचल प्रदेश	681	141
16	जम्मू और कश्मीर	305	214
17	केरल	0	0
18	मेघालय	12	6
19	उत्तराखंड	738	323
20	**उत्तर प्रदेश**	**7075**	**240**
21	पश्चिम बंगाल	1318	793
22	पंजाब	@	@
23	हरियाणा	23	@
कुल		**260295**	**139912**

@ राज्य सरकार द्वारा डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है